ANNUXURE -- III

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 17(33)तशि/2004 जयपुर, दिनांक : 24.1.2005

सदस्य-सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
इन्दिरा गांधी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, आई0पी0एस्टेट
नई दिल्ली।

विषयः- शैक्षणिक वर्ष 2005-2006 में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नये संस्थानों को निरापत्ती प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

महोदया,

निर्देशानुसार, सत्र 2005-2006 में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले बी.फार्मेसी संस्थानों के लिए उनके सामने अंकित प्रवेश क्षमता के अनुसार निम्नानुसार निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

S. N.	Name of the Trust/Society	Name of the proposed Institute	Intake	Session for which NOC sought
1	Sugra Shikshan Sansthan, 24, Jhawar Road, New Colony, Kota-324007	Kautilya College of Pharmacy, M. B .S. Road Daulatganj (Nayagaon), Kota	60	2005-2006
2	Mahima Shiksha Samiti A-18, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur	Institute of Pharmaceutical Sciences (Seedling Academy of Design, Technology and Management) Khoreybaniyan, Jagatpura, Jaipur-302025	60	2005-2006
3	Sanjay Shiksha Samiti Lal Kothi Scheme, Tonk Road, Near New Assembly, Jaipur-302015	Apex Institute of Pharmacy, ISI-7, RIICO Institutional Area, Sitapura, Jaipur 302022	60	2005-2006
4	Shree Birbal Education Society CF/S-23, Nehru Place, Tonk Road Jaipur-302015	Sidharth College of Pharmacy, Jaipur-302015	60	2005-2006
5	Geetanjali Education Society 19-C, Old Fatehpura, Udaipur 313004	Geetanjali Institute of Architecture, Dabok Tehsil Mavli Distt. Udaipur-313002	60	2005-2006
6	Shri Parshwanath School Society Village & Post Varkana Via Bijowa, Station Rani Distt. Pali Rajathan-306601	Shree Parshwanath Jain Institute of Pharmaceutical Education and Research Village and Post Varkana Via Bijowa Station Rani Distt. Pali-306601	60	2005-2006
7	Pushpa Devi Educational Trust, 12/44, Alwala Building, Bheru Gali, Rampura, Kota-324006	Jamnadas Alwala College of Pharmacy, Khasara No. 39, 40 MBS Road, Anantpura, Kota	60	2005-2006
8	National Society for Engineering Research and Development, 25, Shri Rampura Colonly, Civil Lines, Jaipur-302006	JECRC College of Pharmacy, C/o JECRC Campus, Shri Ram ki Nagal Via Vatika, Tonk Road Jaipur-303905	60	2005-2006

Scanned by CamScanner

23	Chandrawaati Education Society, 173, Neel Kanth Apartment Sector 13 Rohini, New Delhi-85	Rajasthan Pharmacy College, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur-303011	60	2005-2006
24	Nirwan Charitable Trust, 2-A, 18&19 Gaganpath Jawahar Nagar, Shriganganagar.	Shankar Pharmacy College, Rajasthan Dental Collage & Hospital, NH-8, Bagru Khurd Ajmer Road, Jaipur	60	2005-2006
25	Deepshikha Kala Sansthan "anshu Bhawan", Near Peetal Factory Crossing, Jhotwara Road, Jaipur	Regional Collage of Pharmacy, ISI-17 Institutional Area, Sitapura, Jaipur-302022	60	2005-2006
26	Pooja Seva Siksha Samiti, IP-4 Phase IV Sitapura Industrial Area Sitapura Jaipur-302022	J.D. College of Pharmacy, IP-4, Phase IV, Sitapura Industrial Area, Sitapura, Jaipur-302022	60	2005-2006

कृपया सूचित होवें कि उपरोक्त के अलावा निजी क्षेत्र में बी.फार्मेसी संस्थान स्थापित किये जाने के अन्य प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा नियपत्ती प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है।

आशय पत्र/नियपत्ती प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन जारी किया जाता है :-

1. ट्रस्ट/संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम तथा परिषद द्वारा समय समय पर जारी विनियमों की शब्दशः पालना करनी होगी।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रकिया द्वारा किया जावेगा एवं राज्य की नीति के अनुसार आरक्षण की पालना करनी होगी।
3. अस्थाई. परिसर में संस्थान को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा प्रथम वर्ष की कक्षाएं चलाने के लिए भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्थान/सोसायटी/ट्रस्ट बाध्य होगी।
5. संस्थान को परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।
6. संस्थान स्थापना में संतोषजनक प्रगति नही होने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति पत्र वापिस लेने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
7. संस्थान में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी। सम्बन्धित विश्वविद्यालय से इस आशय का पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त संस्थान के लिए प्रवेश प्रकिया प्रारंभ की जा सकेगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उपरोक्त संस्थानों को देय नही होगी।
9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना चाहने पर राज्य सरकार की निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण समिति को वांछित समस्त सुविधाएं प्रदान करने की संस्थान की जिम्मेदारी होगी। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अपनी अभिशंषा परिषद् को भिजवायेगी।
10. सम्पूर्ण योजना की अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की आर्थिक सक्षमता होना आवश्यक है।
11. परिषद् द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के संबंध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्थान द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराना आवश्यक होगा।

भवदीय,

(एस.के. सिंह)
विशेषाधिकारी,त0शि0

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संस्थान ट्रस्ट/सोसायटी।

Scanned by CamScanner